

जलियाँवाला बाग कांड -अभी भूला नहीं है

डॉ एस एन वर्मा

राजकीय महाविद्यालय सेवापुरी वाराणसी

इसी वर्ष 22 जून को जलियाँवाला बाग देखने का अवसर प्राप्त हुआ । यात्रा के दौरान परिवार भी साथ था ।

अमृतसर होकर जम्मू जाने की योजना अकस्मात बनी थी । रेल समय सारिणी के अनुसार एक दिन के विश्राम पर आगे की यात्रा कनफेर्म सीट पर हो सकती थी ,इसलिए पवित्र शहर के भ्रमण की योजना फलित हो गई । इतिहास का विद्यार्थी होने के कारण योजना पर मुहर भी लग गई । अमृतसर का नाम दो तीन कारणों से जेहन में था ।

एक तो स्वर्ण मंदिर जो सि ख धर्म का मुख्य स्थान है , दूसरे जलियाँवाला जो राष्ट्रीय आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुआ था ,और तीसरे सबसे ऊर्जावान पड़ोसी से मिलाती बाघा बोर्डर थी । जिस समय पंजाब मेल अमृतसर

पाहुची अनुमान के विपरीत वारिश हो रही थी ,फिर भी 10 बजे तक तैयार होकर घूमने निकले । मैंने सबसे पहले

जलियाँवाला बाग चलने के लिए कहा ,जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया । कुछ ही समय बाद हम एक ऐतिहासिक

धरोहर के सामने थे और उसी रास्ते बाग के अंदर प्रवेश कर रहे थे ,जिसे घेरकर जनरल डायर ने 379

हिंदुस्तानियों को मौत के मुंह में सुला दिया था ।

जलियाँवाला का मैदान 6 एकड़ में फैला है । इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे मकान हैं । मैदान में शहीदी कुआं ,शहीद स्मारक ,संग्रहालय ,जलसंयंत्र जैसे स्थल हैं जो इस जगह को मनोरम बना देते हैं । सैनिकों की आकृति वाली लता और पादप झाड़ी नैसर्गिक शोभा में वृद्धि करती हैं । भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में यह मैदान अब बाग की शकल में है । यह भव्य स्मारक लगभग सौ वर्ष पुरानी नर संहार कथा को बयां करने में कामयाब है

। फोटो गैलरी इतिहास की थोड़ी भी समझ रखने वाले को सब कुछ बता देती है । वारिश के कारण मैदान के भीतर लगे लाल पत्थर और लाल भवन धुले हुए लग रहे थे । रवींद्र नाथ टैगोर के पत्र को देखकर जिसमें उन्होंने नाइटहुड की पदवी लौटने का जिक्र किया था ,अब लगने लगा की विद्यार्थी जीवन में पढ़ी बात सच थी ,इसके बाद इससे जुड़ी दूसरी घटनाएँ भी मानस पटल पर अंकित होने लगीं । लगभग 2 घंटे में भ्रमण में मैदान के कोने कोने जाकर इस भव्य ऐतिहासिक स्थल की मिट्टी की सुगंध ली । मैंने वही बेंच पर बैठकर एक गाइड की तरह साथ गए लोगों को इतिहास बताना शुरू किया । वे जानकारी पाकर संतुष्ट दिखे लेकिन मुझे लगा की इतनी जानकारी पूरी नहीं है । वापस आने पाए फिर से जलियाँवाला के बारे में पढ़ा ,और प्राप्त जानकारी को इस आलेख का प्रतिपाद्य बनाया ।

जलियाँवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को सायं 5 बजकर 37 मिनट पर हुआ था । यह बाग पहले से ही बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए पयोग में लाया जाता था ,अतः लोग बैसाखी मनाने के लिए एकत्र हुए थे । फसल कटाई का पारंपरिक त्योहार जनता उल्लास के साथ मनाने के लिए एकत्र थी । दो नेताओं डॉ सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी से उत्पन्न असंतोष भीड़ के बढ़ने का कारण था । उनकी गिरफ्तारी रौलट अधिनियम के विरोध के कारण हुई थी । इसके प्रावधान नागरिक स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाने वाले थे। यह कानून अङ्ग्रेजी राज्य को बनाए रखने में मदद करने वाला था , इसकी पृष्ठ भूमि जानना आवश्यक है ।

जब से अङ्ग्रेजी शासन स्थापित हुआ था तभी से अंग्रेज़ ऐसे कुछ कानून बना रहे थे , जिससे कि सभ्यता की वोट में राज्य को स्थायी किया जा सके। जब राज्य मुकम्मल हो गया तो इसे बनाए रखने के लिए सैनिकों की भर्ती आरंभ हुई । इस सेना पर अंकुश लगाने के लिए कानून बने । भारत मानव संसाधन की दृष्टि से कभी दरिद्र नहीं रहा । लेकिन इस सच के साथ कि कभी संगठित कम अवसरों पर रहा । अंग्रेजों ने इसे असंगठित रूप में ही साम्राज्य हित में कार्य करने हेतु नियोजित किया । परस्पर विरोधी सामाजिक वर्ग और समूह में कूटनीति से ही

काम चलाया जा सकता था इसे अंग्रेजों से बेहतर कोई नहीं जानता था । लेकिन जब इन सैनिकों को देश से बाहर भेजने की मजबूरी आई तो सेना में एकरूपता लाना ज़रूरी हो गया। लॉर्ड डलहौजी , जिन्हें सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने का श्रेय है उन्होंने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट ऐक्ट बनाया । इसके बाद सैनिक मलाया और बर्मा भेजे गए । उनमें एक समान आचार संहिता लागू करना आवश्यक था । भारतीय परिवेश में यह उल्टा दाव था । भारत के दोनों धार्मिक समूहों से आए सैनिक अपनी पहचान के लिए सजग थे ,उन्हें अपने धार्मिक चिन्हों को छोड़ना गवारा नहीं था । समुद्र पार यात्रा , दाढ़ी , कपड़ों को लेकर जो आग्रह था उसने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ काम किया । एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी की खबर आग लगाने वाली थी । दोनों समुदायों की सहभागिता ने अंग्रेजों को और चौकन्ना कर दिया ।

1857 के बाद दोनों समुदायों में फूट डालने की दिली कोशिश हुई । लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ने सैनिक स्तर पर इस कोशिश को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । न चाहते हुए भी भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ानी पड़ी और उनका उनका उपयोग महत्वपूर्ण सैक्टर में करना पड़ा ॥ सैनिकों का उपयोग सतर्कता के साथ किए जाने के लिए ब्रिटिश राज्य सुरक्षा कानून (D O R A) बनाया गया । बेल्जियम पर जर्मनी के आक्रमण ने इंग्लैंड को हिला दिया था । अतः भारतीय सैनिकों की भर्ती आरंभ हुई , उनकी आचरण नियमावली बनाई गयी । लगभग 12 लाख सैनिक भर्ती किए गए अनिवार्य सेवा के तहत । अकेले पंजाब से 355000 सैनिक भर्ती हुए ,जो अपनी वीरता के लिए विख्यात हुए ।

यूरोप में भारतीय सैनिक खौफ पैदा करते थे । यह प्रचलित हो गया था कि वे अविजेय हैं जहां जाते हैं विरोधी सैनिकों का खून पी जाते हैं। इस सैनिक सहयोग के बल पर महात्मा गांधी को कैसरे हिन्द की उपाधि मिलती है । एक लाख से अधिक सैनिक मारे जाते हैं या फिर स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं । इन्हीं शहीदों का स्मारक इंडिया गेट है । बहरहाल अमेरिका के कारण मित्र देश विजयी हुए । विल्सन के 14 सूत्र शांति के आधार बने ।

अंग्रेजों को भी DORA जैसे कानूनों को समाप्त करने के लिए बाध्य होना पड़ा । भारत में उन्हें भय था कि पंजाब की स्थिति और बिगड़ जाएगी । सैनिकों के साथ की गयी ज्यादती आम जनता में असंतोष न पैदा करदे इसकेलिए सख्त कानून की आवश्यकता थी । सर सिडनी रौलट ने नया कानून बनाया ,जिसका प्रयोग कर सरकार किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी । मोती लाल नेहरू के शब्दों में न वकील ,न अपील ,न दलील वाला यह कानून स्वतन्त्रता का गला घोटने वाला था । फ्रांस में शासक लेटर्स डि काशे जारी करते थे ,भारत के हुक्मरानों ने रौलट एक्ट बना दिया । यह वही देश था जिससे सीख लेकर संसदीय व्यवस्था लागू की गयी लेकिन नागरिक स्वतन्त्रता सीखने के लिए अमेरिका की तरफ देखना पड़ा । . बंदी प्रत्यक्षीकरण ,परमादेश , उत्प्रेषण ,प्रतिषेध और अधिकार पृच्छा संविधान की आत्मा स्वीकार किए गए । रौलट एक्ट की अखिल भारतीय स्तर पर निंदा की गयी । विरोध के बावजूद इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया । महात्मा गांधी सहित राष्ट्रीय नेताओं ने सत्याग्रह करने का निर्णय लिया । जगह जगह सभाएं आयोजित की गईं । पंजाब के गवर्नर माइकेल ओ डायर इससे भयभीत हो गए ,उन्हे लगा कि 1857 की तरह फिर विद्रोह होने वाला है । अतः कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए । विश्व स्तर पर पेरिस शांति सम्मेलन में प्रतिक्रिया का स्वर मुखर था । अमेरिकी परिवेश बदल चुका था अतः विल्सन का दबाव कम हो गया था । जनरल डायर ने सैनिक कानून लागू कर स्थिति को संभालना चाहा । 6 और 9 अप्रैल 1919 को होने वाली रौलट एक्ट विरोधी सभाएं प्रतिबंधित कर दी गईं ,लेकिन प्रतिबंध की सूचना सार्वजनिक नहीं की गयी । सभाएं भी स्थगित कर दी गयी लेकिन लोग एकत्र हुए । एक हल्की झड़प हुई जिसमें एक अंग्रेज़ महिला घायल हो गयी । सेना ने इसे विद्रोह की शुरुआत माना और कर्फ्यू लगा दिया गया । नागरिक स्वतन्त्रता के हनन की पूरी कोशिश हुई ।

13 अप्रैल की सभा शाम 4 बजे आयोजित की गयी थी ,इसलिए दिन भर भीड़ शहर में मौजूद रही । सरकार ने इस भीड़ को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया । जनरल डायर ने सेना के बल पर भीड़ को 5 बजे तितर

बितर करना चाहा जिससे इतना बड़ा हत्याकांड हो गया । शाम 5. 37 बजे जब किसी स्थानीय नेता का भाषण हो रहा था , जनरल डायर 50 गोरखा सैनिकों के साथ एक मात्र निकास द्वार पर पहुँच गए, उन्होंने इस कांड की जांच के लिए गठित समिति के सामने तोप लेकर जाने की इच्छा प्रकट की थी । मैदान में 10 से 15 हजार की भीड़ एकत्र रही होगी जो हथियार युक्त नहीं थी । डायर ने बिना चेतावनी दिये गोली चलाने का आदेश दिया । सैनिकों ने 1650 राउंड गोलियां चलाईं । यह सिलसिला 10 मिनट तक चला । सभा में भगदड़ मच गयी । मैदान के किनारे स्थित कुयें में कूदकर जान बचाने की कोशिश भी सफल नहीं हुई । सरकारी आंकड़े के अनुसार दूसरे दिन 120 लासों निकाली गईं । मारे गए लोगों की संख्या कई गुना अधिक थी ,पूरा मैदान रक्त रंजित था । ब्रिटिश सरकार ने मृतकों की संख्या 379 बताई ,काँग्रेस की जांचसमिति इस संख्या को 1000 तक बतायी । घायलों की संख्या में भी अंतर दिखता है । आंकड़ों में बिना उलझे भी गोली कांड की गंभीरता का पता चलता है । समूचे भारत में इस कांड की तीव्र निंदा हुई । टैगोर ने नाइट तो गांधी ने कैसर ए हिन्द लौटा दिया टैगोर ने तो पत्र लिखकर घटना पर असंतोष जताया और जांच की मांग की । इंग्लैंड की संसद में भी मामला उठा ,हाउस ऑफ कॉमन ने घटना की निंदा की , लेकिन लॉर्ड्स के सहयोग के कारण डायर पर तुरंत कोई कार्यवाही नहीं हुई । चर्चिल ने इस कार्य की निंदा की ,घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी बना दी गयी ।

इस कमेटी में भारतीय सदस्य के रूप में शीतलवाड ,पंडित जगत नारायण शामिल किए गए । हंटर ने स्वयं सरकारी पक्ष सुना ,अमृतसर के स्थानीय नेताओं से साक्षात्कार लिया । जांच समिति ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई जिसका उद्देश्य जनक्रोध को कम करना था । रास्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1919 सबसे उथल पुथल वाला वर्ष था । काँग्रेस और मुस्लिम लीग साथ साथ काम करने को तैयार थे । खिलाफत का प्रश्न मुस्लिमों को आक्रान्त किए था । होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल चुका था । सेत्र की संधि में खलीफा को जिस प्रकार अपमानित किया गया था उससे मुस्लिम आक्रामक हो रहे थे । अंग्रेज़ यह सब जानते हुए जनरल डायर पर

कार्यवाही के लिए तैयार नहीं थे । तीसरा अफगान युद्ध आरंभ हो गया था ,अमीर असद उल्लाह ने गद्दी पर अधिकार कर लिया था । अंग्रेज़ इसे रूस के विस्तार से जोड़ कर देख रहे थे । रूसी क्रान्ति को वे घृणा से देखते थे ,अतःमायकेल डायर , जनरल डायर दोनों पर कोई अभियोग नहीं चला । जनरल डायर बीमार हो गए ,इससे अधिक कुछ पता नहीं चला । माइकेल डायर भी इंग्लैंड चले गए । जलियाँवाला बाग कांड ने अंग्रेज़ों के वास्तविक चरित्र को स्पष्ट कर दिया ,अतः राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेने लगा । महात्मा गांधी ने इस आक्रोश को असहयोग आंदोलन में मुखरित किया ।अंग्रेज़ 1919 के अधिनियम को पास कर डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे थे ।

पंजाब की राजनीति में यह घटना निर्णायक साबित हुई । सांप्रदायिक सद्भाव और जन भागेदारी की जो मिसाल कायम हुई उससे अंग्रेज़ बटवारे के लिए दृढ़ हो गए । यह इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी कि हिन्दू मुस्लिम एकता बरकरार नहीं रह पायी । मरने वालों में मुस्लिमों की संख्या से ज्ञात हो जाता है कि अङ्ग्रेज़ी आकलन सही था । 1857 की तरह ही हिन्दू मुस्लिम एकता स्थापित हो गयी थी । हथकड़ी में एक हाथ हिन्दू का तो दूसरा मुस्लिम का होता था । जलियाँवाला एक टीस बनकर रह गया । डायर की छवि रावण से भी खराब बन गयी ।

पंजाब की जनता इस अपमान को कभी नहीं भूल सकी । उधम सिंह ने माइकेल डायर को मारकर स्वाभिमान की रक्षा की । वे ऐसे युवा थे जिन्होंने इस कांड को नजदीक से देखा था , बहन उत्तरा कौर ने कसम दिलाई थी कि डायर से बदला लेना है । 1940 में 13 अप्रैल को ही गोली मारकर उसने अपना प्रण पूरा भी किया । लेकिन कुछ माह के ट्रायल के बाद उधम सिंह को फांसी दे दी गयी । दूसरे विश्व युद्ध में भी अंग्रेज़ अच्छी स्थिति में नहीं थे ,भारतीयों ने कोई भूल नहीं की । परिणाम स्वरूप न केवल अंग्रेज़ पराजित हुए वरन उन्हें साम्राज्यवाद से भी तौबा करना पड़ा ।

जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू ने उधम सिंह को समुचित सम्मान दिया । संसद में उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी । ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति बनने पर पंजाब की भावना के अनुरूप उनकी अस्थियाँ भारत मंगायी और सम्मान के साथ नदियों में प्रवाहित कराया । एक बार पुनः जलियाँवाला कांड ताज़ा हो गया । भारत कूटनीतिक रूप से इतना सक्षम नहीं था कि पूर्व हुकमरानो को माफी के लिए विवश कर सके । महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के 1997 में भारत आगमन के समय यह मांग रखी गयी कि अंग्रेज़ जलियाँवाला के लिए माफी मांगे । एलिज़ाबेथ ने इस घटना के लिये खेद प्रकट किया ,लेकिन उससे आगे कुछ नहीं कहा । 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भारत आए ,उन्होंने सार्वजनिक रूप से अफसोस प्रकट किया । मतलब साफ है कि ब्रिटेन के साथ संबंधों में जलियाँवाला महत्वपूर्ण बना हुआ है । जलियाँवाला के शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ न जाय । सभ्यता का दंभ भरने वाले अपनी काली करतूत के साये उबर न पाएँ इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी सतत प्रयास शहीदों के लिये सच्ची श्रद्धांजलि होंगे ।